

FROM No.III

फॉर्म अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर..... मुकाम (SDO) काभर

..... मोहन राय बोरु बनाम..... ए.एस.पी. बोरु.....

किस्म मुकदमा..... रा.अ.केन 111, 128 RLR Act नं. 326/2021 सन् 2021.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/10/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... क.एस.पी. चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 RLR Act -</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेसपोडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 11/11/2021 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - काभर</p>
11/11/2021	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/ विप्रार्थी/गोरे के नोटिस लामिल समु लामिल विग्रह/ लामिल पीठानी अचिठारी उवासन गोंबे के संग सम्मान- 2021 केमों में व्यत्य होने से मिवाल रिलव डोडर आगापी दिनांक - 06/01/2022 को पेश हो।</p>	
06/01/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/ विप्रार्थी/गोरे के नोटिस जरिये रजिस्ट्र एडो अजवाफे जाडर पत्रावली दिनांक - 10/02/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p>

अज अर  
तारीख हुक्म

18/05/2022

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियलस जज

10/02/2022

प्राथी वहील उपादिमत / विप्राथीगिणी  
के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी  
मिजवाफे गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त  
नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक  
09/05/2022 को प्रेषित है।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु


09/05/2022

प्राथी वहील उपादिमत / विप्राथीगिणी  
के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी  
मिजवाफे गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं  
हुई है विप्राथीगिणी के नोटिस मिजवाफे गये  
उरीब उभाट का समय व्यतीत हो चुका है  
जिनकी मोर से डेई उपादिमत नहीं हुआ  
न्यायालय समय तीन बार भावजन लगाई गई  
मंतिम भावजन 5.45 PM पर लगाई गई विप्राथी-  
गिणी स्वयं या उनकी मोर से डेई अधिवक्ता  
उपादिमत नहीं हुआ लिहाजा विप्राथीगिणी के  
विरुद्ध उडतरफा आर्षवादी मसल में लाई जाली है  
अतः आन्ते अदम पत्रावली दिनांक- 18/05/2022  
को प्रेषित है।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

अदालत  
हुक्म  
में जारी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिन में जारी हुए
18/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से विखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाडमेर</p>	

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 679

दिनांक : 18/5/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मोहनराम पुत्र ताजाराम,  
जाति प्रजापत, निवासी राजबेरी, मलवा  
पटवार मण्डल खारापार,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. हड़मतसिंह पुत्र मुलसिंह वगैरा 08,  
जाति जाट, निवासी राजबेरी, मलवा  
पटवार मण्डल खारापार,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या - 326/2021

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - राजबेरी, मलवा, पटवार मण्डल - खारापार, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 166/55, 169/55, 54 रकबा क्रमशः 5.4875, 3.6826, 0.0324 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/ 680-684

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोहनराम पुत्र ताजाराम,
4. विप्रार्थी श्री हड़मतसिंह पुत्र मुलसिंह वगैरा 08,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक-बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला बायतु